



मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

87

क्रमांक एफा 7-35/1997/आप्र/एक
प्रति,

ओपाल, दिनांक २५/०५/२०१४

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मोप्र०, ग्यालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 12.11.1997

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र की जायाप्रति संलग्न है। आरक्षित वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों का समूचित पालन नहीं हो पा रहा है तथा पुनः सभी संबंधित को इन निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

2/ अतः इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 12.11.1997 की प्रति संलग्न कर लेख है, कि उक्त निर्देश का पालन मुनिशित किया जाए। यदि इन आदेशों के उल्लंघन के मामले शासन या परिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(के० सुरेश)

प्रभुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग




11 2 11

पृ. क्रमांक एफ 7-35/1997/आप्र/एक

भोपाल, दिनांक २३/०५/२०१४

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल;
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
 3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल;
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल;
 5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परिक्षा मण्डल/अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल;
 8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर;
 9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल;
 10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल;
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्यालियर;
 12. महालंखाकार, नंदेश्वर ग्यालियर/भोपाल;
 13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सौजीओ बिल्डिंग, 52-अरेरा हिल्स, भोपाल;
 14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं० 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पूजा गुप्ता, हैदराबाद-50082
 15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल;
 16. प्रमुख सचिव/सचिव, म०प्र० शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल;
 17. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल;
 18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;
 19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल;
- की ओर सूचना थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोग्यिता ।


(आर०के० गजभिये)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रलय

क्रमांक एफ.७-३५/१७/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 12/11/1997

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
सम्पत्ति संभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय-

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं छिड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य विट्ठि वर्गों के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि इन वर्गों के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके।

इन वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धों मामलों में उत्तरता एवं सहभावनाध्यक्ष कर्त्तव्याधी की जानी अपेक्षित है। ऐसा के मामलों में इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों को गलतीयों किए जाने पर भी संवेदनशील लक्ष्य उनकी कर्मसूचियों में सुधार लाए जाने के प्रयास किए जाएं। तत्परश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कर्त्तव्याधी, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल विषयों कोई ठोस आधार हो तो ही पूर्ण विचारोपरान्त कर जाए।

शासन ध्यारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक आधार पर बार-बार स्थानान्तरित नहीं किया जाए तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करते समय उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार भेदभावपूर्ण कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में न हो।

यदि इन अदेशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कर्त्तव्याधी की जाएगी।

(के.एस. शर्मा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृष्ठांकन लम्हांक एफ. ७३५/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक १२ नवम्बर १९९७

प्रतिलिपि-

१. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर,
गज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश, राज भवन, भोपाल,
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
२. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,
प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग,
अवर सचिव (स्थापना) /अधीक्षण/अधिलेख शाह/मुख्य लंखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय,
आयुक्त, जनरल्स कंसल्टेनेंट्स, भोपाल,
वो और रूपनाथ एवं आमरपाल कुर्ड्याहा हैं।
- ३.
- ४.
- ५.
- ६.

जी०स्त०जटिल्डार

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग